न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–01/18 (2018/00001) वाद पत्र

उनवान

1–हीरा पिता रेवता कुमावत निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–प्रभु पिता रेवता कुमावत निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – वादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 17.12.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण को ग्राम रूपा का खेड़ा पटवार हल्का भींटा के बैरून हल्का आबादी में दिनांक 06.12.2004 को ग्राम रूपाकाखेड़ा की बिलानाम काबिल काश्त आराजी संख्या 51 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 52 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 53 रकबा 0.35 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 है0 भूमि आवटिंत की गई। वक्त आवंटन से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रमाण में आवंटन सूची, वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त भूमि पर आवंटन से कब्जा चला आ रहा है और काफी अंग मेहनत करके भूमि को उपजाउ बनाया है। उक्त सम्पूर्ण भूमिया का मौके पर कब्जा सिपूर्द कर दिया परन्तु तत्कालीन पटवार हल्का व भू–अभिलेख भींटा बिना किसी विधिक आदेश के अवैध रूप से सिपूर्दगी नामें में आराजी संख्या 53 रकबा 0.35 है0 भूमि वादीगण के खेत से लगती हुई नही होने तथा वादीगण के बे भोग होने का अंकन करते हुए रिपोर्ट तैयार कर दी तथा नामान्तरण संख्या 39 दिनांक 06.12.2004 में केवल आराजी संख्या 51 व 52 का ही नामान्तरणकरण वादीगण के नाम दर्ज किया गया। आवंटन समिति द्वारा एक बार आंवटन कर देने के पश्चात् पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक को आवंटित भूमि को खारीज करने का कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी संख्या 53 रकबा 0.35 है0 भूमि पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण को प्रतिवादी द्वारा धारा 91 एलआरए की कार्यवाही करने पर वादीगण द्वारा आवंटन पत्रावली की नकले प्राप्त करने पर इस अवैध कृत्य की जानकारी हुई प्रतिवादी वादीगण के विरूद्व धारा 91 एलआरए की कार्यवाही कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावे कि उक्त विवादित आराजी नम्बर 53 रकबा 0.35 है0 के वादीगण खातेदार है तदानुसार राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि को वादीगण के नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को दिये जावे। एवं बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की स्थायी [illegible] की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि आराजी संख्या 53 रकबा 0.35 है0 भूमि में वादीगण को [illegible] काश्त कर फसल लाभ लेने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावे तथा वादीगण को जबरन उसके कब्जे से बेदखल नही करे। यदि [illegible] वादीगण को उसके [illegible] व हिस्से तथा कब्जे का की भूमि से बेदखल कर देवे तो जरिए [illegible]त्मक आज्ञा के पुनः [illegible] वादीगण को दिलाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 02.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी द्वारा जबाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.05 18:22:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। जवाब में अंकन किया कि वादीगणो को दिनांक 06.12.2004 को ग्राम रूपाकाखेड़ा की आराजी नम्बर 51 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 52 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 53 रकबा 0.35 है0, आंवटन हुआ, परन्तु वक्त सिर्पूदगी आराजी नम्बर 53 रकबा 0.35 है का कब्जा नही देकर ईकरारी नामा प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में आराजी नम्बर 53 रकबा 0.35 है बिलानाम दर्ज है और आराजी नम्बर 51, 52 से लगती हुई है। उक्त आराजी पर आवंटी का कब्जा है।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली है और इसी के साथ वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादीगण को ग्राम रूपाकाखेड़ा की आराजी नम्बर 51, 52, 53 कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 है0 भूमि दिनांक 06.12.2004 को आवंटन हुई है और भूमि आवंटन कार्यवाही एवं रजिस्टर का अवलोकन किया जिसमें क्रम संख्या 29 पर हीरा, प्रभु पिता रेवता कुमावत को आराजी नम्बर 51 में 0.14 है0, आराजी नम्बर 52 में 0.15 है0 और आराजी नम्बर 53 में 0.35 है0 भूमि आवंटन हुई है। आवंटन के पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सिर्पूदगी नामा में आराजी नम्बर 51 एवं 52 किता 2 रकबा 0.29 है0 भूमि का कब्जा दिया गया और आराजी नम्बर 53 रकबा 0.35 है0 भूमि के सम्बन्ध में यह अकिंत करते हुए भूमि का कब्जा नही दिया गया कि आराजी नम्बर 53 रकबा 0.35 है0 भूमि हमारे बे भोग में होने से एवं भूमि हमारे खेत से लगती हुई नही होने से हम आराजी नम्बर 53 रकबा 0.35 है0 का ईन्कारी नामा स्वेच्छा से लिखकर प्रस्तुत कर रह है। इस तथ्य की जांच तत्कालीन राजस्व ऐजेन्सी को करनी चाहिये थी कि वास्तव में आवंटी ने भूमि स्वेच्छा से लेने से इनकार किया जबकि इसी प्रकरण में स्वयं तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपने जवाब में अकंन किया कि आराजी नम्बर 53 आराजी नम्बर 51 व 52 से लगती हुई है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा किया गया कथन कि भूमि आवंटी के बे भोग में होने से इन्कारी नामा लिखा है स्वीकार योग्य नही है। पटवारी हल्का को आवंटन कमेटी के आदेश की पालना में कब्जा सिपूर्द किया जाना था जो नही किया गया। ऐसी स्थित में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को आवंटन के रेकार्ड से बल मिलता है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये गये है उससे वादीगण को भूमि आवंटन होना प्रमाणित होता है एवं तहसीलदार रायपुर के जवाब के अनुसार मौके पर वादीगण का कब्जा है। उपरोक्त विवरण के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम रूपा का खेड़ा की आराजी संख्या 53 रकबा 0.35 है भूमि वादीगण को आवटिंत होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री [illegible]। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.05 18:22:48 IST
Reason: SelfAttested

17.12.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रायपुर, जिला–भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–01/18 (2018/00001) वाद पत्र

उनवान

1–हीरा पिता रेवता कुमावत निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–प्रभु पिता रेवता कुमावत निवासी रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम रूपा का खेड़ा की आराजी संख्या 53 रकबा 0.35 है भूमि वादीगण को आवटिंत होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 17.12.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

17.12.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
रायपुर, जिला–भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.05 18:22:48 IST
Reason: SelfAttested